

भारत सरकार वित्त मंत्रालय केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो 19, माल रोड, मुंरार, ग्वालियर - 474006	 सत्यमेव जयते	Government of India Ministry of Finance Central Bureau of Narcotics 19, The Mall, Morar, Gwalior (M.P.) - 6
(PBX) : (91) 751-2368996E-MAIL: narcom@bsnl.in		
F.No. II(3)16/Estt/Promotion to UDC/2021-4624		Dated, the 31 December, 2024

Estt. Order No. 31/2024

As per the findings of DPC for the year 2024 for promotion of Lower Division Clerk to the grade of Upper Division Clerk held in the office of Narcotics Commissioner on 26.12.2024, the following Lower Division Clerks are hereby promoted to the grade of Upper Division Clerk in Level-4 of pay matrix Rs. 25,500-81,100/- with effect from 01.01.2025 after they take over the charge of higher post.

1. The officials should note that:

(a) If they do not accept the offer of promotion within 10 days of issue of order and fail to report for duty at their respective place, it will be considered as refusal of promotion and they shall be debarred for promotion to the grade of Upper Division Clerk, for a period of one year.

(b) Their seniority will be reckoned on the basis of panel drawn by DPC for the year 2025.

(c) They are required to submit within one month of promotion, their option of fixation of pay on promotion as per DoP&T's O.M.No.13/02/2017-Estt.(Pay-I) dated 27th July 2017. However, where the officials have been granted benefit of financial upgradation under the ACP/MACP Scheme, their pay would be fixed in accordance with the provision contained in Para 9 of Annexure to DoPT's O.M. No.35034/1/97-Estt.(D) dated 9.8.1999 and for MACP, provisions contained in DoPT's O.M.No.35034/3/2008-Estt.(D) dated 19.5.2009 respectively.

2. The promotion, in the higher grade, in respect of the officials shall take effect from 01.01.2025 after they take over the charge of higher post.

3. Consequent upon promotion to the grade of Upper Division Clerk, the following officials are hereby posted in the office as mentioned below:

Sl. No.	Name of officer S/shri/Smt.	Present Place of Posting	Posted to the office of
1.	Sandeep Kumar (OH)	CCF, New Delhi	CCF, New Delhi
2.	Niraj Prakash (OH)	GM, Ghazipur	GM, Ghazipur

4. The concerned Unit DNC/ CCF/ GM shall ensure that if any of the above officers are under suspension or facing any charge sheet or prosecution, he/ she

should not be allowed to assume charge of the post of Upper Division Clerk and this fact should be reported to this office immediately.

5. If the above officers accept the promotion in the grade of Upper Division Clerk, any further requests for reversion to the feeder cadre in subsequent DPCs will not be considered.

6. If the above officers accept the promotion in the grade of Upper Division Clerk, as per G.S.R. 773(E) dated 18.12.2024, they are required to pass the Departmental Examination within 2 years of promotion.

7. The above officers should be relieved and directed to join the new assignment immediately. A compliance report on the same should be sent to the undersigned immediately.

This issues with the approval of Narcotics Commissioner.

—sd—

(Manoj Kumar)

Assistant Narcotics Commissioner

Shri.....
.....

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The CCF, New Delhi.
2. The Dy. Narcotics Commissioner, CBN, Neemuch/Kota/Lucknow.
3. The General Manager, GOAW, Neemuch/Ghazipur
4. PS to Narcotics Commissioner, CBN, Gwalior.
5. PA to DNC & ANC.
6. The Pay and Account Office, CBN, Gwalior
7. All Section In-charge, CBN, Gwalior. -Website
8. Guard File/Website.


31/12/24

(Manoj Kumar)

Assistant Narcotics Commissioner



स्थापना आदेश संख्या 31/2024

26.12.2024 को नारकोटिक्स आयुक्त के कार्यालय में आयोजित वर्ष 2024 के लिए अवर श्रेणी लिपिक से उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड में पदोन्नति के लिए डीपीसी के निष्कर्षों के अनुसार, निम्नलिखित अवर श्रेणी लिपिक को उच्च पद का कार्यभार संभालने के पश्चात 01.01.2025 से वेतन मैट्रिक्स रु. 25,500-81,100/- के लेवल-4 में उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड में पदोन्नत किया जाता है।

I. अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए कि:

(क) यदि वे आदेश जारी होने के 10 दिनों के भीतर पदोन्नति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं और अपने संबंधित स्थान पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं, तो इसे पदोन्नति से इनकार माना जाएगा और उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड में पदोन्नति के लिए रोक दिया जाएगा। (ख) उनकी वरिष्ठता की गणना वर्ष 2025 के लिए डीपीसी द्वारा तैयार पैनल के आधार पर की जाएगी।

(ग) उन्हें पदोन्नति के एक महीने के भीतर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 जुलाई 2017 के का.जा.सं.13/02/2017-स्था.(वेतन-I) के अनुसार पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा। हालांकि, जहां अधिकारियों को एसीपी/एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया है, उनका वेतन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9.8.1999 के कार्यालय जापन संख्या 35034/1/97-स्था.(डी) के अनुलग्नक के पैरा 9 में निहित प्रावधान और एमएसीपी के लिए क्रमशः कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.5.2009 के कार्यालय जापन संख्या 35034/3/2008-स्था.(डी) में निहित प्रावधानों के अनुसार तय किया जाएगा। 2. अधिकारियों के संबंध में उच्च ग्रेड में पदोन्नति 01.01.2025 से प्रभावी होगी जब वे उच्च पद का कार्यभार संभाल लेंगे।

3. उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड में पदोन्नति के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित अधिकारियों को नीचे उल्लिखित कार्यालय में तैनात किया जाता है:

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती	वर्तमान पदस्थापन स्थान	कार्यालय में तैनात
1	संदीप कुमार (ओएच)	सीसीएफ, नई दिल्ली	सीसीएफ, नई दिल्ली

2	नीरज प्रकाश (ओएच)	जीएम, गाजीपुर	जीएम, गाजीपुर
---	-------------------	---------------	---------------

4. संबंधित यूनिट डीएनसी/सीसीएफ/जीएम यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि उपरोक्त अधिकारियों में से कोई भी निलंबित है या किसी आरोप पत्र या अभियोजन का सामना कर रहा है, तो उच्च श्रेणी लिपिक के पद का प्रभार संभालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इस तथ्य को तुरंत इस कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए।

5. यदि उपरोक्त अधिकारी उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड में पदोन्नति स्वीकार करते हैं, तो बाद की डीपीसी में फीडर कैडर में वापसी के लिए किसी भी अन्य अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. यदि उपरोक्त अधिकारी उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड में पदोन्नति स्वीकार करते हैं, तो जीएसआर के अनुसार 773(ई) दिनांक 18.12.2024 के अनुसार पदोन्नति के 2 वर्ष के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

7. उपरोक्त अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त कर नया कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए जाएं। इसकी अनुपालन रिपोर्ट तत्काल अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाए।

यह नारकोटिक्स आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।


(मनोज कुमार)

सहायक नारकोटिक्स आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सीसीएफ, नई दिल्ली।
2. उप नारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन, नीमच/कोटा/लखनऊ।
3. महाप्रबंधक, जीओएडब्ल्यू, नीमच/गाजीपुर।
4. नारकोटिक्स आयुक्त के निजी सचिव, सीबीएन, ग्वालियर।
5. डीएनसी/एएनसी के निजी सचिव।
6. वेतन एवं लेखा कार्यालय, सीबीएन, ग्वालियर।
7. सभी अनुभाग प्रभारी, सीबीएन, ग्वालियर। गार्ड फ़ाइल/वेबसाइट.